

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

दुर्गाराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 343/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुकम की तामील में जारी हुए
09.07.215	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित पैतृक पुश्तेनी कृषि भूमि ख.नं. 273, 274, 275, 269, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 321-15 बीघा में मेरे पिता का नाम परबू दर्ज हैं जबकि वास्तविक नाम पाबूराम हैं। सबूत में दुर्गाराम ने पहचान-पत्र की छाया प्रति पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित पैतृक पुश्तेनी कृषि भूमि ख.नं. 273, 274, 275, 269, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 321-15 बीघा में मेरे पिता का नाम परबू दर्ज हैं जबकि सबूत के आधार पर पाबूराम बखूबी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र की छाया पेश किया। परबू के स्थान पर पाबूराम को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित पैतृक पुश्तेनी कृषि भूमि ख.नं. 273, 274, 275, 269, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 321-15 बीघा भूमि में परबू के स्थान पर पाबूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

20  
SDO

डिक्री बमुकदमें इस्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. दुर्गाराम पुत्र पाबूराम  
जाति-सीरवी,  
निवासी-चावण्डियाकलां  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली  
(राज.)

1. सरकार तरिसे तहसीलदार  
जैतारण

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 343/2015


निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अगार की सादिर की जाती हैं कि गौजा-चावण्डियाकलां में रिथत पैतृक पुश्तेवी कृषि भूमि ख.नं. 273, 274, 275, 269, 271, 272 कुल किता 06 कुल रकबा 321-15 बीघा भूमि में परबू के स्थान पर पाबूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भोजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसलें शुमार होकर नम्बर रो कम हो। बाद तकगील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज .....-.....गुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें गय रूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बरिबत मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।



  
 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
 जिला-पाली

	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

गिजान:-

गिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।